

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संसाधन-लघुसिंचना-सीएम-ई-डैश-05/2020- 1202 (मौ) /पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा।

विषय:-जल-जीवन-हरियाली योजना में लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा द्वारा कुसेढी (बरबीघा) आहर-पईन में ठेकेदार एवं विभाग द्वारा अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-श्री रामकान्त सिंह, पिता-स्व० हरखू सिंह, ग्राम+पो०-कुसेढी, प्रखण्ड-बरबीघा, जिला-शेखपुरा से प्राप्त आवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री रामकान्त सिंह, पिता-स्व०-हरखू सिंह, ग्राम+पोस्ट-कुसेढी, प्रखण्ड-बरबीघा, जिला-शेखपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि कुसेढी ग्राम के बरबीघा अन्तर्गत आहर-पईन की खुदाई एवं पुलिया के निर्माण कार्य में ठीकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि योजना की जांच कर ली जाय। योजना का कार्य यदि प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा हो तो संवेदक के विरुद्ध बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करें तथा दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय।

अनु०-यथावत्

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1202 (मौ)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1202 (मौ)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि- श्री रामकान्त सिंह, पिता-स्व० हरखू सिंह, ग्राम+पो०-कुसेढी, प्रखण्ड-बरबीघा, जिला-शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

15/6/20

सेवा में,

श्रीमान् प्रधान सचिव महोदय

लघु सिंचाई विभाग पटना (बिहार)

31/06/2020 (31)

विषय:-जल जीवन हरियाली योजना में लघु सिंचाई प्रमण्डल शेखपुरा द्वारा कुसेढ़ी (बरबीघा) आहर-पैन में ठिकेदार एवं विभाग द्वारा अनिमित्ता बरतने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग कुसेढ़ी ग्राम के बरबीघा प्रखण्ड (शेखपुरा) के किसान है। हमलोगों के गाँव में आहर-पैन की खुदाई एवं पुलिया का निर्माण लघु सिंचाई प्रमण्डल शेखपुरा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसमें ठिकेदार एवं विभाग में मिली भगत से योजना में मनमानी एवं घटिया निर्माण कर लुट मचाया जा रहा है। यह योजना महत्वपूर्ण एवं किसानों सिंचाई स्रोत से जुड़ा हुआ है।

1. आहर में वर्म (पेटी) नहीं छोड़ा गया है।
2. डिजाइन डाटा के अनुसार कार्य गहराई नहीं (5 फीट) नहीं किया जा रहा है। कार्य केवल 1 फीट 2 फीट तक ही कार्य किया जा रहा है।
3. कलभर्ट (पुलिया) में ईटा का टुकड़ा एवं सीमेन्ट 15-16 में देकर घटिया निर्माण किया जा रहा है।
4. डाकस्थान (मेहूँश रोड) से धर्मपुर गाँव तक जल निकासी पैन की मात्र 1 फीट तक खुदाई हुआ है।
5. कुसेढ़ी में अभिराम सिंह चिमनी से पश्चिम से लोदीपुर रोड तक पैन में मात्र 1 फीट की पैन खुदाई हुआ है।
6. कुसेढ़ी आहर में पश्चिम साइड में अलंग में पुराने अलंग को उपर से काट कर चौड़ा कर उँचाई को कम कर दिया गया है।
7. कुसेढ़ी लोदीपुर सीमाना के बीच का पैन में अलंग दे दिया गया है। उसमें अलंग बहुत ही कम मिट्टी डाला गया है।
8. कुसेढ़ी आहर पैन का नक्शा के अनुसार कार्य नहीं कर अपने मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। विभाग में कुसेढ़ी का नक्शा दर्शाकर (रंग) कर योजना में मास्टर प्लान में लगा हुआ है।

पैन विभाग,
पटना

04 JUN 2020

(पर मुख्द सचिव काभाग)

23/7/2020
04/6/20

JHS
04-06-2020

शिवशंकर
रवि

27/4
5/6

2357 (मं०)
5/6/20

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें ताकि हम सभी किसानों के साथ न्याय एवं जल जीवन हरियाली योजना का लाभ हम सभी किसानों को मिल सकें। इस कार्य के लिए हम सभी किसान आपका सदा आभारी रहेंगे। जाँच कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रधान सचिव महोदय लघु सिंचाई विभाग पटना
- 2. मंत्री महोदय लघु सिंचाई विभाग बिहार सरकार (पटना)
- 3. अधीक्षण अभियंता महोदय लघु सिंचाई अंचल मुंगेर

विश्वासभाजन
 राजा साबित सिंह
 पे० स्व० हरखू सिंह
 ग्राम+पो० : कुसेढी
 प्रखण्ड- बरबीघा
 जिला:- शेखपुरा

मो० - 9334287439, 8197420809

1 अशोक कुमार

12) रामेश्वर कुमार


13) राज प्रसाद सिंह

14) अशोक कुमार

15) अशोक कुमार

16) सुलोचन कुमारी

17) राज प्रसाद सिंह

18)  सिंह
 शिवराम

19) रामेश्वर कुमार

20) रामेश्वर कुमार